

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 1982/माघ 12, 1903
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1982/MAGHA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1982

का. आ. 65(अ) :—केंद्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल
साधक (सम्पत्ति समग्रहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की
उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बीमा विभाग) के आदेश पर

का आ 41 (अ) (स 1205/फा स 414/2/76 आ क (वि)), तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में, क्रम सं 2 के सामने स्तम्भ (2) में, 'श्री हर गोविन्द' के स्थान पर 'श्री एस डी मनचन्दा' रखा जाएगा ।

[स 4449 फा स प्रशा (18)80-आ क.]

ए एन मिश्र, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st February 1982

S O 65(E)—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976, (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S O 41(E) [No 1205/F No 414/2/76 IT(Inv)] dated the 15th January 1976 namely :—

In the Table below the said Order in Column (2), against Serial No 2, for "Shri Har Govind" "Shri S D Manchanda" shall be substituted

[No 4449/F No Admn (18)/80-SAFEMA]

A N MISRA, Director